कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 111/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 22.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 23.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस – नोट, दिनांक - 23.03.2026

थाना - अहरौला, जनपद - आजमगढ़,

रास्ते के विवाद में लाठी-डंडों से जानलेवा हमला करने वाले नामजद अभियुक्त प्रदुम्न को अहरौला पुलिस ने दबोचा

मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, घटना में प्रयुक्त आला जुर्म (लाठी) बरामद

गंभीर मारपीट की वारदात में फरार चल रहे अभियुक्त को खजुरी से अभयपुर जाने वाले रास्ते की पुलिया के पास से घेराबंदी कर किया गिरफ्तार

मामले में शामिल अन्य वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस की लगातार दबिश जारी

थाना अहरौला क्षेत्र के ग्राम अभयपुर में रास्ते में पाइप लगाने/निकालने के विवाद को लेकर हुई गंभीर मारपीट व जान से मारने की नीयत से हमले के मामले में अहरौला पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक नामजद वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला जुर्म (लाठी) बरामद की गई है। अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।

घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 20.02.2026 को वादी अनिल कुमार यादव पुत्र राम सेवक यादव निवासी ग्राम अभयपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षियों 01. शिवम यादव पुत्र राम विनय यादव 02. प्रदुम्न यादव पुत्र राम नवल यादव 03. किशन यादव पुत्र सतिराम यादव 04. अभिषेक यादव पुत्र शम्भू यादव 05.आकाश राजभर पुत्र भीम राजभर 06.राम विनय यादव पुत्र राम धारी यादव 07.रवि यादव पुत्र प्रमोद यादव 08. राम नवल यादव पुत्र रामधारी यादव निवासीगण ग्राम अभयपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ द्वारा रास्ते में पाइप लगाने/निकालने के विवाद को लेकर प्रार्थी के परिजनों बड़ी मां धिराजी यादव, चचेरी बहन ऊषा यादव, जयहिन्द यादव व विपिन यादव को गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे धिराजी यादव सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अहरौला पर मु0अ0सं0 40/2026 धारा 109/115(2)/352/351(3)/3(5) बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला द्वारा की जा रही थी, जिसमें अभियुक्त प्रदुम्न यादव उपरोक्त वांछित चल रहा था।

इसी क्रम में दिनांक 22.03.2026 को उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला मय हमराह हे0का0 सीताराम यादव द्वारा क्षेत्र में देखभाल, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग व वांछित अभियुक्तों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रदुम्न यादव पुत्र राम नवल यादव निवासी ग्राम अभयपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष को खजुरी से अभयपुर जाने वाले रास्ते की पुलिया के पास से समय करीब 14:22 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला जुर्म (लाठी) बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. प्रदुम्न यादव पुत्र राम नवल यादव निवासी ग्राम अभयपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 40/2026 धारा 109/115(2)/352/351(3)/3(5) बी.एन.एस. थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी:- एक अदद आला जुर्म (लाठी)

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. उ0नि0 उमाकान्त शुक्ला थाना अहरौला जनपद आजमगढ़
02. हे0का0 सीताराम यादव थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

प्रेस – नोट, दिनांक - 23.03.2026

थाना - तहबरपुर, जनपद - आजमगढ़

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को तहबरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वादिनी को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने व बाद में शादी से मुकरने का आरोप, मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस की त्वरित कार्यवाही

थाना तहबरपुर क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को तहबरपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

घटनाक्रम के अनुसार, दिनांक 22.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना तहबरपुर पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षी अखिलेश यादव पुत्र स्व० छेदी यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया तथा बाद में शादी से इंकार कर दिया गया। साथ ही वादिनी के परिजनों द्वारा विवाह हेतु दबाव बनाने पर विपक्षी द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/2026 धारा 69, 352, 351(3) बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।

इसी क्रम में दिनांक 23.03.2026 को व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अखिलेश यादव पुत्र स्व० छेदी यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 31 वर्ष को उसके घर से समय करीब 08:20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. अखिलेश यादव पुत्र स्व० छेदी यादव निवासी ग्राम जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

01. मु0अ0सं0 38/2026 धारा 69, 352, 351(3) बी.एन.एस. थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

01. व0उ0नि0 रवीन्द्र प्रताप यादव, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़
02. का0 सत्यम सिंह, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़।

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, मिशन शक्ति 5.0 के तहत कार्रवाई

आजमगढ़। महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे *मिशन शक्ति 5.0 अभियान* के तहत थाना सरायमीर पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 06.03.2026 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर द्वारा थाना

स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि विपक्षी रणजीत पुत्र लालमन उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा तथा बेहतर जीवन एवं मुम्बई में नौकरी दिलाने का लालच देता था। इस संबंध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0 58/2026 धारा 69 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में दिनांक 23.03.2026 को उ0नि0 राजकुमार यादव मय हमराह हे0का0 अजय पाण्डेय द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर गड़वा मोड़ (सरायमीर) मेन रोड से अभियुक्त रणजीत कुमार पुत्र लालमन निवासी सिकहुला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे की जानकारी देते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई तथा उसके परिजनों को भी सूचित किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया। पुलिस टीम में उ0नि0 राजकुमार यादव एवं हे0का0 अजय पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 58/2026 धारा 69 बीएनएस थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.रणजीत कुमार पुत्र लालमन निवासी सिकहुला थाना सरायमीर आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. उ0नि0 राजकुमार यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 अजय पाण्डेय थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ।

□ *जनपद पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है।*

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ।

वारंटियों पर शिकंजा: निजामाबाद पुलिस ने 09 अभियुक्त दबोचे

आजमगढ़। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत था**ना निजामाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में की गई। थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर मा0 न्यायालय द्वारा जारी वारंटों के अनुपालन में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में अनिल यादव, केदार यादव, प्रकाश यादव निवासीगण फिरोजपुर, सरिता पत्नी राजेन्द्र मौर्य व राजेन्द्र मौर्य निवासी बेगपुर खालसा, रियाज उर्फ बुद्धू निवासी सीधा सुल्तानपुर, छोटेलाल निवासी नन्दपुर, गुड्डू उर्फ शमसाद निवासी फरीहा तथा सलीता पत्नी रामनयन निवासी गन्धुवई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ शामिल हैं। पुलिस द्वारा सभी वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ ।

चोरी की बाइक के साथ शातिर गिरफ्तार, वादी की सूझबूझ से खुला मामला

आजमगढ़। थाना सरायमीर क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना में पुलिस को उस समय सफलता मिली जब पीड़ित की सतर्कता से आरोपी मौके पर ही पकड़ लिया गया। दिनांक 22.03.2026 की रात्रि में वादी गुलजार अहमद पुत्र इमरान अहमद निवासी पठान टोला थाना सरायमीर अपनी मोटरसाइकिल संख्या UP 62 BC 4446 से कस्बे में चाय पीने गए थे। वापस लौटने पर उनकी बाइक गायब मिली, जिस पर उन्होंने तत्काल डायल-112 को सूचना दी और स्वयं तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान खुदादपुर गांव के पास एक व्यक्ति बाइक का नंबर प्लेट हटाकर उस पर गैस सिलेंडर व गेहूं की बोरी लादकर ले जाता दिखाई दिया, जिसे वादी ने मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अताउल्लाह पुत्र नवी हसन निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ बताया।

वादी द्वारा अभियुक्त को थाना सरायमीर लाया गया, जहां प्राप्त तहरीर व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 81/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर, एक अदद इंडियन गैस सिलेंडर तथा एक सफेद प्लास्टिक बोरी में लगभग 22 किलोग्राम गेहूं बरामद हुआ है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी आयुध अधिनियम, मारपीट व आबकारी अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिससे उसका आपराधिक प्रवृत्ति का होना प्रकाश में आया है।

पुलिस टीम में उ0नि0 अभिषेक सिंह एवं का0 मिथिलेश यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

☐ जनपद पुलिस द्वारा चोरी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. अताउल्लाह S/O नवी हसन ग्राम सिरसाल थाना रानी की सराय जिला आजमगढ उम्र करीब 28 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 81/2026 धारा 303(2)/317(2) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ।

बरामदगी -

1- एक अदद मोटर साईकिल सुपर स्पलेडर
2- एक अदद सिलेण्डर (इण्डियन)
3- एक सफेद प्लास्टिक के बोरी में गेहू करीब 22 किलो

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 0352/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-0077/2023 धारा 323, 325, 504, 506 थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
3. मु0अ0सं0 81/2023 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0-98/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0- 18/2026 धारा 60 अबकारी अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजगढ़
6. मु0अ0सं0- 81/2026 धारा 303(2)/317(2) थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिषेक सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
2. का0 मिथिलेश यादव थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़

थाना मेंहनगर, जनपद आमजगढ़

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, मिशन शक्ति 5.0 के तहत कार्रवाई

आजमगढ़। महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण के उद्देश्य से चलाए जा रहे *मिशन शक्ति 5.0 अभियान* के तहत थाना मेहनगर पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17.12.2025 को प्रार्थिनी द्वारा दी गई तहरीर में आरोप लगाया गया कि दिनांक 15/16.12.2025 की रात अज्ञात समय पर उसकी 17 वर्ष 5 माह की पुत्री को प्रताप कुमार पुत्र अवधेश राम निवासी ग्राम भदौरा थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर अपने साथी भीम पुत्र श्यामदेव निवासी दामा थाना मेहनगर के सहयोग से बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 537/2025 धारा 87/137(2)/61(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के क्रम में दिनांक 23.03.2026 को उ0नि0 उमेश सिंह मय हमराह का0 अभिषेक यादव द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर अभियुक्त भीम कुमार पुत्र श्यामदेव निवासी ग्राम दामा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 10:25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त को उसके विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे की जानकारी देते हुए विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा जुर्म से इंकार किया जा रहा है। प्रकरण में कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया है। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया। पुलिस टीम में उ0नि0 उमेश सिंह एवं का0 अभिषेक यादव थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
भीम कुमार पुत्र श्यामदेव सा0 दामा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 537/25 धारा 87/137(2)/61(2) बीएनएस) बीएनएस थाना मेंहनगर
गिरफ्तारी करने वाली टीम –
1- उ0 नि0 उमेश सिंह मय हमराह का0 अभिषेक यादव, थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

☐ जनपद पुलिस द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 23.03.2026
थाना – सिधारी, जनपद आजमगढ़

ई-रिक्शा चोरी का खुलासा, 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस ने वाहन सहित 03 बैटरी की बरामदगी की
रेलवे स्टेशन से चोरी कर बेचने की फिराक में थे आरोपी

आजमगढ़। थाना सिधारी पुलिस ने ई-रिक्शा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की एक अदद ई-रिक्शा (संख्या UP50DT 9554) व तीन अदद बैटरी बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शुभम तोदी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक सिधारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

दिनांक 23.03.2026 को उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर होमगार्ड ग्राउंड के पास वन विभाग डिपो के निकट से अभियुक्त श्याम सुन्दर गौड़ उर्फ शिन्टू पुत्र कैलाश गौड़ व मंगरु चौधरी पुत्र स्व0 राजकुमार चौधरी निवासीगण पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को समय करीब 13:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की ई-रिक्शा व तीन बैटरियां बरामद की गईं।

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि दिनांक 20.03.2026 की रात उन्होंने अपने साथी सुनील यादव के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन आजमगढ़ से उक्त ई-रिक्शा चोरी की थी तथा बैटरियों को अलग-अलग बेचकर पैसे आपस में बांटने की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ लिए गए, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार हो गया।

इस संबंध में थाना सिधारी पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 317(2)/317(4)/317(5)/112(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया है।

बरामदगी का विवरण-

01 अदद ई-रिक्शा वाहन संख्या -UP50DT 9554 व 3 अदद बैटरी

गिरफ्तार अभियुक्त

1. श्याम सुन्दर गौड़ उर्फ शिन्टू पुत्र कैलाश गौड़ निवासी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ उम्र करीब 32 वर्ष
2. मंगरु चौधरी पुत्र स्व0 राजकुमार चौधरी निवासी पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 92/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोतरी धारा 317(2)/317(4)/317(5)/112(2)बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः- उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा, हे0का0 मनोज यादव, का0 आदित्य कुमार, का0 अंकित सिंह व का0 अतुल कुमार राजभर शामिल रहे।

☐ जनपद पुलिस द्वारा चोरी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी है।

प्रेस नोट, दिनांक – 23.03.2026
जनपद – आजमगढ़

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित
मीडिएशन के माध्यम से 01 प्रकरण में कराया गया समझौता
नई किरण प्रोजेक्ट से पारिवारिक विवादों के निस्तारण का प्रयास
महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व पारिवारिक समरसता पर जोर
बिखरे परिवारों को जोड़ने की दिशा में पुलिस की सार्थक पहल

आजमगढ़। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं पारिवारिक समरसता को बढ़ावा देने हेतु चलाए जा रहे *मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण)* के अंतर्गत जनपद आजमगढ़ में परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी मिशन शक्ति श्री चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में सम्पन्न हुई।

➡ बैठक में कुल 03 प्रकरणों में दोनों पक्षों को दूरभाष/नोटिस के माध्यम से सूचित कर मीडिएशन हेतु बुलाया गया, जिसमें 01 प्रकरण में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। गहन काउंसलिंग एवं अथक प्रयासों के उपरांत 01 प्रकरण में आपसी सहमति से समझौता कराया गया। शेष प्रकरणों में अगली तिथि नियत कर दोनों पक्षों को पुनः सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

➡ समझौता किए गए प्रकरण में पति व ससुराल पक्ष द्वारा बच्ची के जन्म के उपरांत मारपीट, गाली-गलौज एवं घर से निकाल देने की शिकायत थी, जिसका सफल निस्तारण करते हुए परिवार को पुनः एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया गया। *नई किरण प्रोजेक्ट* के माध्यम से जनपद में बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने एवं पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा रहा है।

➡ इस अवसर पर काउंसलर डॉ0 उमेशचन्द्र पाण्डेय, काउंसलर गिरीश सिंह पटेल, उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी जितेन्द्र कुमार शाह, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

कुल समझौते – 01

1. सुष्मिता पुत्री रामाश्रय यादव, निवासी रमनीपुर, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.03.2026
थाना- सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी के मामले में 9,500 रुपये वापस, पुलिस की त्वरित कार्रवाई

लोन दिलाने के नाम पर ठगी, खुद को बैंककर्मी बताकर की गई धोखाधड़ी

शिकायत मिलते ही साइबर टीम ने रकम कराई ट्रेस व रिफंड

थाना सिधारी साइबर टीम की सक्रियता से पीड़ित को मिली राहत

आजमगढ़। थाना सिधारी क्षेत्र में साइबर ठगी के एक मामले में पुलिस की सक्रियता से पीड़ित को राहत मिली है। साइबर हेल्प डेस्क की तत्पर कार्रवाई के चलते 9,500 रुपये की ठगी गई धनराशि वापस कराई गई।
घटना के अनुसार आवेदक अजय यादव पुत्र केदारनाथ यादव निवासी भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ की पत्नी द्वारा ऑनलाइन लोन लेने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने स्वयं को बैंककर्मी बताकर लोन प्रोसेसिंग के नाम पर कुल 9,500 रुपये की ठगी कर ली। पीड़ित द्वारा साइबर शिकायत दर्ज कराई गई, जो थाना सिधारी पर प्राप्त हुई।
शिकायत मिलते ही थाना सिधारी साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त कर त्वरित कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में संबंधित खातों को ट्रेस कर नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी 9,500 रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई।
पुलिस द्वारा पीड़ित को जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी, बैंक डिटेल्स या ओटीपी साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, वेबसाइट www.cybercrime.gov.in या नजदीकी पुलिस स्टेशन के साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।
बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः- उ0नि0 विधनेश वर्मा, उ0नि0 नितीश सिंह, का0 महेश कुमार, का0 पवन गुप्ता व म0का0 रीना यादव थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

_प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक – 23.03.2026_
थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

फर्जी दस्तावेज व कूटरचना कर 33 लाख से अधिक की जमीन ठगी, 05 अभियुक्त गिरफ्तार
_भूमि खरीद-फरोख्त के नाम पर गिरोह बनाकर किया गया सुनियोजित धोखाधड़ी का खुलासा_
बाग लखराव पुलिया से 05 आरोपियों को दबोचा, मुख्य अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार
जालसाजी, धमकी व धोखाधड़ी के गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

आजमगढ़। जनपद में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जमीन के नाम पर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी रूद्रान्श राय पुत्र विनोद राय निवासी मधुबन, कन्धरापुर द्वारा प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया कि कृष्ण चन्द्र राय व उसके परिजनों तथा अन्य सहयोगियों द्वारा कोडर अजमतपुर स्थित भूमि को असली बताकर कूटरचित नक्शा व दस्तावेज तैयार कर उसे दिखाया गया तथा विश्वास में लेकर किस्तों में भुगतान का झांसा देकर कुल 33,30,000 रुपये ले लिये गये। बाद में जांच में पाया गया कि दिखायी गई भूमि का अधिकांश हिस्सा बंजर व असंबंधित गाटा संख्या का था। जब वादी ने पैसा वापस माँगा तो अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज, धमकी एवं फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कही गई।

इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

➡ *उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त कृष्णचन्द्र राय पुत्र सुखसागर राय निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह जनपद आजमगढ़, हाल पता मोहल्ला बदरका थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 49 वर्ष (HS No-15B बरदह) को दिनांक 08.03.2026 को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।*

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 23.03.2026 को नि0 रफी आलम मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बाग लखराव पुलिया के पास से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 05 अभियुक्तों को समय 13:50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-
1. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्यामधारी निवासी अजमतपुर कोडर, थाना कोतवाली, उम्र करीब 42 वर्ष
2. अभय कुमार पुत्र स्व0 प्रमोद निवासी अजमतपुर कोडर, थाना कोतवाली, उम्र करीब 22 वर्ष
3. विजय कुमार पुत्र स्व0 सुरेश निवासी अजमतपुर कोडर, थाना कोतवाली, उम्र करीब 48 वर्ष
4. महेन्द्र कुमार पुत्र बृजभूषण निवासी अजमतपुर कोडर, थाना कोतवाली, उम्र करीब 40 वर्ष
5. दीपक पुत्र स्व0 सुरेश निवासी अजमतपुर कोडर, थाना कोतवाली, उम्र करीब 54 वर्ष

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा स्वीकार किया गया कि उनके बैंक खातों में विभिन्न तिथियों पर रकम आई थी, जिसे निकालकर मुख्य अभियुक्त कृष्ण चन्द्र राय व उसके परिवार के साथ आपस में बांट लिया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 92/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 352, 351(3), 111(7) बीएनएस थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- अभियुक्त जितेन्द्र कुमार के विरुद्ध पूर्व में भी थाना सिधारी में धारा 419/420/406/427/120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- नि0 रफी आलम, हे0का0 धर्मेन्द्र तिवारी, का0 अखिलेश यादव, का0 काशी कुमार थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।